राजस्थान सरकार
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान,
शासन सचिवालय, जयपुर
एफ 61(20)SSAAT/Rules of Business/2019-20/ दिनांक

कार्यविधि नियमावली (Rules of Business)

राजस्थान सरकार के मंत्रीमण्डल की आज्ञा डी/मं.म/49/2019 दिनांक 27.06.2019 द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान की योजनाओं हेतु एक स्वतंत्र संस्था "सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी" (SSAAT) के गठन संम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। मंत्रीमण्डल के अनुमोदनानुसार सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी का पंजीयन सहकारिता विभाग के पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या Coop/2019/Jaipur /104900 दिनांक 20.08.2019 द्वारा कराया गया। दिनांक 19.09.2019 को राजस्थान सरकार के साधारण राजपत्र में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की अधिसूचना प्रकाशित हुई।

सोसायटी (SSAAT) के विधान के अनुसार सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के कार्य संचालन हेतु शासी निकाय (Governing Body) एवं कार्यकारी समिति (Executive Committee) का गठन किया गया है। उक्त दोनों समितियों के गठन का प्रावधान सामाजिक लेखा परीक्षा,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के विधान के बिन्दू संख्या 14 एवं 16 में अंकित हैं एवं इनके कर्तव्यों का विवरण सोसायटी के विधान के बिन्दू संख्या 15 एवं 17 पर वर्णित हैं। इसी प्रकार सोसायटी के विधान में विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं उनके कर्तव्यों का विवरण निम्नानुसार प्रावधित है:-

पदाधिकारी	विधान के बिन्दू
निदेशक	8
उप निदेशक	9
सामाजिक विकास विशेषज्ञ	11
राज्य संसाधन व्यक्ति	12
जिला संसाधन व्यक्ति	13

इस सोसायटी का कार्य संचालन इसके विधान के अर्न्तगत सम्पादित किया जावेगा तथापि सुस्पष्ट दिशा निर्देशों की व्यवस्था स्थापित करने हेतु इसके कार्य संचालन हेतु कार्यविधि नियमावली (Rules of Business) निम्न प्रकार है:-

भाग– (अ) साधारण

1. नाम–

इन नियमों का नाम सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) कार्यविधि नियम हैं।

2. परिभाषाएँ–

इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

i. सोसायटी से आशय सामाजिक लेखा परीक्षा,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) से है।

ii. शासी निकाय से आशय सामाजिक लेखा परीक्षा,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की शासी निकाय से है।

iii. अध्यक्ष शासी निकाय से आशय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार से है जो पदेन अध्यक्ष सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) है।

iv. पदेन उपाध्यक्ष शासी निकाय से आशय अति मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार से है, जो सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की शासी निकाय के पदेन उपाध्यक्ष है।

v. कार्यकारी समिति के पदेन अध्यक्ष से आशय अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से है।

vi. सदस्य सचिव, शासी निकाय (Governing Body) से आशय सचिव / विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार एवं सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति (Executive Committee) से आशय निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) से है, जो पदेन सदस्य सचिव है।

3. क्षेत्राधिकार–

(i) सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का संचालन क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य होगा।

(ii) सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना तथा भारत / राज्य सरकार की अन्य योजनाओं यथा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G), चौदहवां वित्त आयोग (FFC), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) एवं स्वच्छ भारत अभियान (SBM) आदि योजनाओं के तहत किये जाने वाले कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना है।

Scanned by CamScanner

(iii) किसी भी अन्य योजना के सामाजिक अंकेक्षण का कार्य सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) को दिया जा सकता है। जिन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है, इस बाबत समय समय पर भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं सामाजिक लेखा परीक्षा,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के शासी निकाय द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

4 वित्तीय वर्ष–

वित्तीय वर्ष से आशय 1 अप्रेल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च तक समाप्त होने वाले वर्ष से है। समस्त गतिविधियां एवं लेखांकन कार्य इसी अवधि के अनुसार सम्पन्न किये जावेंगे।

भाग–(ब) कार्यविधि–

1 सोसायटी मे अधिकारियों / कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति एवं संसाधन व्यक्तियों का चयन –

सोसायटी के विधान के अनुसार सोसायटी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार अधिकारियों, कर्मचारियों, सेवा निवृत्त कार्मिकों, संविदा आधारित कार्मिकों या संसाधन व्यक्तियों की सेवायें ली जा सकेंगी। इनकी प्रतिनियुक्ति / संविदा आधारित सेवायें निम्न नियमों के अनुसार रहेंगी:–

i. निदेशक के पद पर राजस्थान लेखा सेवा के सुपर टाईम स्केल के अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर रखा जायेगा अथवा सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ, जिसे सामाजिक अंकेक्षण के कार्य का कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो, का निर्धारित रीति से चयन किया जावेगा।

ii. उपनिदेशक के पद पर राजस्थान सरकार के सेवारत अधिकारी, जो कि उप जिलाधीश से न्यून स्तर का न हो, का प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन किया जायेगा।

iii. सोसायटी में अन्य स्वीकृत पदो यथा प्रोग्रामर, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय, कनिष्ठ लेखाकार, निजी सचिव, सूचना सहायक तथा लिपिक ग्रेड– द्वितीय आदि पर वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति के अनुसार अधिकारी / कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर लिये जा सकेंगे। आवश्यकतानुसार वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत शर्तों पर अधिकारी / कर्मचारी सेवा निवृत्त अथवा संविदा आधार पर भी लिये जा सकेंगे।

iv. सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) में ऐसे स्वीकृत पदो के लिए, जिन पर अधिकारी / कर्मचारी की नियुक्ति राज्य सरकार / राजकीय प्रतिष्ठानों में कार्यरत / सेवानिवृत अधिकारियों / कर्मचारियों मे से

Scanned by CamScanner

किया जा सकता है, उनके लिए आवश्यकतानुसार सूचना विभागीय website/ अन्य विभागों/कार्यालयों को सूचना प्रसारित करके इच्छुक आवेदकों से आवेदन–पत्र प्राप्त किये जा सकते हैं। इनकी उपलब्धता के अनुसार उपयुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का चयन करके सोसायटी में पदों पर कार्य सम्पादन हेतु प्रतिनियुक्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।

v- कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं सहायक कर्मचारी की सेवायें वित्त विभाग के अनुमोदन के अनुसार ली जा सकेंगी।

vi-सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ(SDS), राज्य संसाधन व्यक्ति (SRPs), जिला संसाधन व्यक्तियों (DRPs) का चयन सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) द्वारा इस हेतु बनाये गये चयन प्रकिया विनियमों के अनुसार एक वर्ष के अनुबन्ध के आधार पर किया जा सकेगा।

vii-ब्लॉक एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों का चयन सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) द्वारा इस हेतु बनाये गये चयन प्रकिया विनियमों के अनुसार दैनिक मानदेय के आधार पर किया जा सकेगा।

viii-सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य सम्पादन हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ(SDS), राज्य संसाधन व्यक्ति (SRPs), जिला संसाधन व्यक्ति (DRPs), ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRPs) एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों (VRPs) का चयन पूर्ण पारदर्शिता से इस प्रयोजनार्थ सोसायटी में सक्षम स्तर से अनुमोदित नियुक्ति विनियमों के अनुसार की जावेगी। इस हेतु अखबार एवं विभागीय वेबसाईट(website) पर विज्ञप्ति जारी करके यथा संभव ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर उनमें से पात्र व्यक्तियों का चयन निर्धारित प्रकिया से किया जायेगा।

ix- पात्र व्यक्तियों की चयन सूची में से सामाजिक विकास विशेषज्ञ(SDS), राज्य संसाधन व्यक्ति (SRPs), जिला संसाधन व्यक्ति (DRPs) की संविदा आधारित नियुक्ति एक वर्ष के लिए दी जावेगी, जो सफल प्रशिक्षण प्राप्ति एवं सन्तोषजनक सामाजिक अंकेक्षण कार्य सम्पादन के अध्यधीन होगी।

x- इसी प्रकार चयनित व्यक्तियों में से ब्लॉक संसाधन व्यक्ति(BRPs) एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों (VRPs) की एक सूची (Empanelled list of BRPs & VRPs) सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) द्वारा संधारित की जावेगी, जिनमें से संतोषजनक कार्य करने वाले संसाधन व्यक्तियों को सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने हेतु आदेश दिया जा सकेगा।

विशेष परिस्थितियों में चयनित व्यक्ति उपलब्ध न होने पर सामाजिक अंकेक्षण कार्य कराने हेतु निदेशक, SSAAT द्वारा अन्य लोगों की सेवायें लेकर कार्य सम्पादन कराया जा सकेगा।

2. सेवा शर्तें:–

i) राज्य सरकार/शासन में स्थायी रूप में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों में से सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों पर सोसायटी द्वारा अंगीकृत राजस्थान सेवा नियम तथा राजस्थान सरकार में प्रचलित अन्य समस्त नियम लागू होंगे।

ii) प्रतिनियुक्ति पर लिये गये कर्मचारियों/अधिकारियों के अतिरिक्त सेवा निवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों/ संविदा आधार पर लिये गये व्यक्तियों की सेवाऐं वित्त विभाग के अनुमोदन में वर्णित शर्तो के अनुसार होंगी।

iii) सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितताओं एवं आचरण संबंधी गतिविधियों के लिए राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियमों, राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियमों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारियों, कर्मचारियों पर राज्य सरकार में प्रचलित अन्य समस्त नियम उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे राज्य सरकार के विभाग में होने पर लागू होते।

iv) सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) में संविदा पर रखे जाने वाले सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं संसाधन व्यक्तियों तथा दैनिक मानदेय भोगी संसाधन व्यक्तियों पर सोसायटी द्वारा बनाये गये विनियम एवं अन्य सेवा शर्तें लागू होंगी।

v) सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य/जिला/ब्लॉक एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों तथा संविदा कर्मियों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कार्य में लापरवाही बरतने, किसी प्रकार की मिलीभगत/सांठ गांठ कर अनियमितताओं को प्रकाश में नहीं लाने अथवा भ्रष्टाचार आदि कृत्यों के लिए सोसायटी द्वारा विधिवत रूप से बनाये गये आचरण नियम एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी नियमों (Code of Conduct & Disciplinary Action Rules) के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। इन नियमों के सोसायटी में बनने तक यदि कोई प्रकरण प्राप्त होता है तो राज्य सरकार के नियमों के समरूप उपयुक्त व्यवस्था से सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुए संसाधन व्यक्ति पर उचित दण्डात्मक कार्यवाही/कानूनी कार्यवाही निदेशक SSAAT द्वारा की जावेगी।

3. <u>सोसायटी में अधिकारियों/कर्मचारियों/संसाधन व्यक्तियों को वेतन भत्तों/संविदा राशि/मानदेय का भुगतानः-</u>

i- सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में नियमानुसार दिये जा रहे नियमित वेतन एवं भत्ते देय होगें।

ii- प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों को समस्त प्रकार के अवकाश आदि राज्य सरकार के नियमानुसार स्वीकृत किये जायेगें।

iii- सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सरकार के नियमानुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता भी देय होगा।

iv- सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) में सामाजिक अंकेक्षण संबंधी कार्य संपादन करने हेतु रखे जाने वाले संसाधन व्यक्तियों में से आवश्यकतानुसार मासिक अथवा दैनिक मानदेय पर आधारित व्यवस्था की जा सकेगी। संसाधन व्यक्तियों को दिये जाने वाले दैनिक मानदेय/ संविदा राशि एवं इनकी अन्य सेवा शर्तों के लिए उपयुक्त नियम सोसायटी द्वारा बनाये जावेंगे। जिन संसाधन व्यक्तियों को निर्धारित अवधि के लिए संविदा नियुक्ति दी जावेगी, ऐसे संसाधन व्यक्तियों (Fix Tenure Employees) यथा सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य एवं जिला संसाधन व्यक्तियों को भारत सरकार एवं वित्त विभाग, राजस्थान सरकार से अनुमोदित मासिक संविदा राशियों के आधार पर भुगतान देय होगा। इनको अवकाश/यात्रा भत्ता आदि, यदि कोई देय हो तो, सोसायटी द्वारा विधिवत रूप से बनाये गये नियमानुसार देय होंगे।

v- सोसायटी में विधिवत रूप से प्रचलित नियमों के अनुसार ब्लॉक एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों को वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित राशि के आधार पर दैनिक मानदेय एवं अन्य लाभ (यदि कोई अनुमत हो तो) देय होंगे।

vi- सभी अधिकारियों/कर्मचारियों/संसाधन व्यक्तियों (जो किसी भी पदनाम से सोसायटी में कार्यरत हों) को उनको संबंधित नियमों के अनुसार देय (payable) वेतन भत्ते/संविदा राशि/दैनिक मानदेय अन्य कोई भी राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में ही किया जावेगा।

निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) प्रचलित नियमों के अर्न्तगत बैंकिंग तकनीकी सुविधाओं का उपयुक्त रीति से उपयोग करते हुए संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों/सामाजिक अंकेक्षण में लगे हुए संसाधन व्यक्तियों/अन्य आपूर्ति दाताओं/सेवा प्रदाताओं का भुगतान उनके बैंक खातों में कराये जाने की व्यवस्था करेंगे।

4. सोसायटी की लेखा एवं अंकेक्षण प्रणाली :–

i- सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) द्वारा राजस्थान सरकार में प्रचलित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR), राजस्थान सेवा नियम (RSR) व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम और नियम (RTPP Act & Rules) आदि विभिन्न नियमों के प्रावधान अंगीकृत किये गये हैं। सोसायटी के लेखों का संधारण उक्त नियमों की पालना करते हुए किया जावेगा।

ii- सोसायटी द्वारा सामान्यतः उक्त समस्त नियमों की पालना की जायेगी, परन्तु सोसायटी के कार्य संचालन को निर्बाध रूप से कियान्वित किये जाने हेतु आवश्यकतानुसार इन नियमों में उपयुक्त शिथिलता सोसायटी की शासी निकाय द्वारा दी जा सकेगी।

iii- सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) द्वारा इसके विधान के प्रावधानानुसार स्वतंत्र रूप से बैंक खाता संधारित किया जायेगा, जिसमें भारत सरकार के निर्देशानुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना, के प्रशासनिक मद में प्राप्त राशि का 0.5 प्रतिशत राशि सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु सामाजिक लेखा परीक्षा,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) को उपलब्ध होगी। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, 14वें वित्त आयोग अनुदान तथा स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण भी किया जाना है। अतः उक्त योजनाओं के प्रावधानानुसार या भारत सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुसार इन योजनाओं के प्रशासनिक व्यय मद में से भी सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु सोसायटी को राशि उपलब्ध होगी। आवश्यकतानुसार भविष्य में भी अन्य योजनाओं के लिए भी राज्य सरकार/ भारत सरकार से सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्राप्त राशियां बैंक खाते में रखी जावेंगी।

iv- सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) में लेखा शाखा द्वारा सम्यक् रूप से एवं विधि अनुसार अपेक्षित उचित लेखे संधारित किये जायेगें।

v- सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के समस्त लेखों का अंकेक्षण कार्यकारी समिति द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा कराया जावेगा।

vi- आवश्यकतानुसार सोसायटी के लेखों का भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा भी अंकेक्षण किया जा सकेगा।

vii- सामाजिक लेखा परीक्षा,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के लेखों की अंकेक्षित वार्षिक रिपोर्ट शासी निकाय एवं कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत

की जावेगी। यह रिपोर्ट राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार को भी प्रेषित की जावेगी।

5. <u>सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था–</u>

सोसायटी द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना में इनके विधान के प्रावधान अनुसार उपयुक्त सामाजिक अंकेक्षण प्रकिया एवं दिशा निर्देश तैयार किये जावेंगे। इन दिशा निर्देशों की पालना समस्त कार्यकारी विभागों/ कार्यालयों (Implementing Departments and offices) एवं सोसायटी के लिए कार्यरत सामाजिक अंकेक्षण प्रयोजनार्थ सामाजिक अंकेक्षण दलों द्वारा की जानी होगी। जब तक नवीन सामाजिक अंकेक्षण दिशा निर्देश/नियमावली विधिवत रूप से अनुमोदन उपरान्त जारी नहीं की जा सके तब तक वर्तमान में प्रचलित दिशा निर्देशों (यथा संशोधित) के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण कार्य एवं सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट्स पर कार्यवाही की जावेगी।

6. <u>पारदर्शिता एवं जवाबदेही व्यवस्था:</u>

(i) सोसायटी की अंकेक्षण संबंधी सम्पूर्ण व्यवस्था, प्रचलित नियमों/ उपनियमों/दिशा निर्देशों / निर्णयों का प्रकाशन सर्व सुलभ (In public domain) होना चाहिये। इस हेतु सोसायटी/विभाग की website पर उक्त समस्त सूचनाएँ आम जन को उपलब्ध करायी जावेगी।

(ii) अंकेक्षण कार्यो में संलग्न एवं सोसायटी के कार्यो में पदस्थापित सभी व्यक्तियों की चयन प्रकिया एवं पदस्थापन आदेश सर्व सुलभ (In public domain) किये जावेगें।

(iii) सोसायटी द्वारा किये गये अंकेक्षण की रिपोर्ट्स एवं उन पर किये गये अनुपालना की रिपोर्ट्स (Action taken Reports) सर्व सुलभ (In public domain) रहेगी।

(iv) सोसायटी की अंकेक्षण रिपार्ट्स पर क्रियान्वयन विभागों (Implenting Departments) द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। रिपोर्ट्स में उठाये गये आक्षेप पर यदि कोई अनियमित राशि की वसूली बनती है तो संबंधित विभाग अविलम्ब राशि वसूल कर राजकोष में जमा कराने के लिये उत्तरदायी होंगे। राशियों के गबन, दुरूपयोग आदि के लिए दोषियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी संबंधित विभागों द्वारा की जावेगी।

(v) यदि सामाजिक अंकेक्षण में संलग्न लोग भ्रष्टाचार, कदाचार, मिलीभगत एवं जानबूझ कर अनियमितताओं को प्रकाश में न लाने के दोषी पाये जावें तो नियमानुसार उचित कार्यवाही करने हेतु सामाजिक लेखा परीक्षा,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) उत्तरदायी होगा।

7. वार्षिक रिपोर्ट :–

i- सामाजिक लेखा परीक्षा,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) द्वारा की गई कार्यवाही और गतिविधियों की एक वार्षिक कार्य प्रगति रिपोर्ट तैयार की जावेगी, जिसे कार्यकारी समिति/शासी निकाय के अनुमोदन उपरान्त भारत सरकार, राज्य सरकार एवं नियंत्रक महालेखापरीक्षक (C.A.G) को प्रेषित की जावेगी।

ii- सामाजिक लेखा परीक्षा,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) द्वारा संपादित की गई सामाजिक अंकेक्षण संबंधित कार्यवाहियों (सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों सहित) की संकलित वार्षिक रिपोर्ट मय कार्यवाही रिपोर्ट (Action Taken Report) संबंधित योजना के कियान्वयन विभाग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए अपने प्रशासनिक विभाग के माध्यम से राजस्थान विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करवायी जावेगी। इसकी प्रति सामाजिक लेखा परीक्षा,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)) एवं CAG को संबंधित विभागों द्वारा प्रेषित की जावेगी जिस पर विधानसभा द्वारा अपेक्षा की जावे तो उपयुक्त टिप्पणी सोसायटी द्वारा देनी होगी।

8. रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज को रिपोर्ट:–

शासी निकाय की वार्षिक बैठक आयोजित होने के 30 दिन के भीतर निम्न दस्तावेजों को संलग्न कर सोसायटी द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज को प्रेषित की जावेगी:–

(अ) शासी निकाय एवं कार्यकारी समिति के सदस्यों, अध्यक्ष, सचिव , चेयरमेन, और सोसायटी से सम्बन्धित अन्य पदाधिकारियों के नाम, पद आदि की सूची।

(ब) गत वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट।

(स) सोसायटी की प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं C.A. की ऑडिट रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।

उक्त कार्यविधि नियमावली कार्यकारी समिति (EC) द्वारा शासी निकाय की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 के निर्णय संख्या 1.1 में प्रदत्त शक्तियों की पालना में कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 के निर्णय संख्या 1.2 द्वारा अनुमोदित की गयी है जिसकी सभी संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा पालना किया जाना आवश्यक है ।

Sd

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग सह अध्यक्ष,
कार्यकारी समिति (SSAAT)

113

क्रमांक– 61 (20) SSAATVRules of Business/2019–.20/7352-66 दिनांक– 4/3/2020

प्रतिलिपि– प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान
2. विशिष्ट सहायक, मा. उपमुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
3. वरिष्ठ उप सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष शासी निकाय SSAAT,
4. निजी सचिव, श्रीमान् अति. मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा. विभाग सह अध्यक्ष कार्यकारी समिति, SSAAT,
5. संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रा.वि.मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
6. निजी सचिव, श्रीमान प्रधान महालेखाकार, राजस्थान
7. निजी सचिव, शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग
8. निजी सचिव, शासन सचिव श्रम एवं रोजगार विभाग,
9. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक पंचायती राज विभाग,
10. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा,
11. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सह उपाध्यक्ष कार्यकारी समिति, SSAAT,
12. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
13. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग
14. निदेशक, SSAAT सह सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति SSAAT
15. प्रभारी अधिकारी वेब साईट, ग्रामीण विकास विभाग/पंचायतीराज विभाग/महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग की वैबसाईट पर इस आदेश को स्थायी रूप से प्रकाशित कराने का श्रम करें।
16. रक्षित पत्रावली

4/3/2020
(रामावतार शर्मा)
निदेशक एवं सदस्य सचिव,
कार्यकारी समिति, SSAAT